INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 12 | JANUARY - 2023

रायपुर कर्चुलियान विकासखण्ड की जनजातीय महिलाओं की सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों का अध्ययन

श्वेता त्रिपाठी[1] , डॉ. श्रीनिवास मिश्र[2]
[1]शोधार्थी समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.).

सारांश –

महिला जनजातियों का जीवन अभावों से भरा हुआ है। इनके जीवन में निरक्षरता, निर्धनता, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिहीनता के तत्व विद्यमान रहे हैं, इसलिए शासन स्तर पर इन्हें आरक्षण की सुविधा, यातायात व संचार की व्यवस्था, शिक्षा, व्यवसाय, कृषि, औद्योगिक प्रशिक्षण, पेयजल, स्वास्थ्य सेवायें, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, प्रकाश/बिजली की व्यवस्था, सहकारी समितियों की स्थापना, अनुदान एवं महिलाओं के उत्थान हेतु महिला सशक्तीकरण इत्यादि सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। महिला सशक्तीकरण द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था एवं रहन–सहन के तौर तरीकों की चुनौती पूर्ण जीवन में महिलाओं के समान अवसर, राजनैतिक व आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान, कानून के अंतर्गत सुरक्षा और प्रजनन का स्वतंत्र अधिकार इत्यादि पर निर्णय लेने के अधिकार की स्वतंत्रता से लगाया जाता है।

मुख्य शब्द – रायपुर कर्चुलियान, जनजातीय, महिला, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ।

प्रस्तावना –

जनजाति शब्द का आशय ऐसे मानव समूह से है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज भी सभ्यता एवं संस्कृति से अपरिचित अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो सभ्य एवं सुसंस्कृत समाजों से दूर जंगलों, पहाड़ों एवं पठारी भू–भागों में निवास करते हैं। इन्हीं जन समूहों को जनजाति, आदिम समाज, आदिवासी एवं वन्य जाति इत्यादि नामों से सम्बोधित किया जाता है। इस दृष्टि से हम उन्हें कह सकते हैं कि स्थानीय आदिम/जनजाति समूहों के किसी भी समूह को, जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करते हों, एक सामान्य भाषा बोलते हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं, उन्हें हम जनजाति कह सकते हैं।

सशक्तीकरण एक सतत् विकास करने वाली प्रक्रिया है। अतः सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कार्यशीलता, जागरूकता और उचित नियंत्रण हेतु प्रयत्नों के माध्यम से व्यक्ति अपने विषय में निर्णय हेतु स्वतंत्र व समर्थ होता है।

महिला सशक्तीकरण का आशय यह है कि महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाना, जिससे वह सरलता व सहजतापूर्वक अपने जीवनयापन की समुचित व्यवस्था कर सके। महिला सशक्तीकरण द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था एवं रहन–सहन के तौर तरीकों की चुनौती पूर्ण जीवन में महिलाओं के समान अवसर, राजनैतिक व

आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान, कानून के अंतर्गत सुरक्षा और प्रजनन का स्वतंत्र अधिकार इत्यादि पर निर्णय लेने के अधिकार की स्वतंत्रता से लगाया जाता है।[1]

यह सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी प्रमुख शाखा है, जो वास्तव में मानवीय सामाजिक संरचना एवं गतिविधियों से सम्बन्धित जानकारी को परिष्कृत करने एवं उनका विकास करने हेतु, अनुभवजन्य विवेचन तथा विवेचनात्मक विश्लेषण की अनेक प्रविधियों का प्रयोग करता है, इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के भावों में इस प्रकार के ज्ञानकोष को क्रियानिवत करना होता है।

विश्लेषण –

परिवार मानव समाज की प्राथमिक और मूलभूत संस्था है, मनुष्य का जन्म विकास और संस्कृतकरण परिवार से ही शुरू होता है, वह आदिम हो या आधुनिक, किसी न किसी रूप में परिवार का अस्तित्व रहा है, क्योंकि परिवार के वगैर समाज का अस्तित्व एवं निरन्तरता कदापि सम्भव नहीं है। इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था में यदि सन्तानोत्पादन की क्रिया रूक जाय, यदि बच्चों का पालन पोषण न किया जाय और उन्हें, अपने विचारों को आगामी पीढ़ी हेतु संचारित करना और एक दूसरे से सहयोग करना न सिखाया जाय तो सम्भवतः समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। अतएव सुस्पष्ट होता है कि परिवार समाज की मूलभूत संस्था है जो मानव अस्तित्व की रक्षा करती है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विरासत को एक पीढी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित करती है। परिवार की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नांकित हैं –

लूसी मेयर के शब्दों में, ''परिवार एक गृहस्थ समूह है, जिसमें माता–पिता और संतान साथ–साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दम्पति एवं उसकी संतान रहती है।''[2]

मैकाइवर और पेज के अनुसार, ''परिवार स्थायी यौन सम्बन्धों पर आधारित एक ऐसा सुनिश्चित एवं छोटा समूह है जिनमें संतानोपत्ति के अवसर के साथ–साथ उनके पालन पोषण की भी व्यवस्था रहती है।''[3]

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह सुस्पष्ट होता है कि भिन्न–भिन्न विद्वानों द्वारा परिवार को विविध दृष्टिकोण से परिलक्षित करने का प्रयास किया है। परिवार एक समूह, एक संघ एवं एक संस्था के रूप में समाज में मौजूद है। प्रत्येक समाज में परिवार के दो पक्ष सुस्पष्ट होता है, पहली संरचनात्मक एवं दूसरी प्रकार्यात्मक। अपने मूल रूप में परिवार की संरचना पति–पत्नी एवं संतानों से मिलकर बनी होती है, इस दृष्टिकोण से प्रत्येक परिवार में कम से तीन तरह के सम्बन्ध विद्यमान होता है, जिनमें पति–पत्नी के सम्बन्ध, माता–पिता एवं बच्चों के सम्बन्ध और भाई–बहनों के सम्बन्ध। पहले प्रकार का सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्ध होता है, जबकि दूसरे और तीसरे प्रकार के सम्बन्ध रक्त सम्बन्ध होता है। इसी आधार पर परिवार के सदस्य परस्पर नातेदार भी हैं। अतः सुस्पष्ट होता है कि एक परिवार में वैवाहिक और रक्त सम्बन्धों का पाया जाना आवश्यक है। इन सम्बन्धों के अभाव में परिवार का होना कदापि सम्भव नहीं है।

प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार को निमित कुछ मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। परिवार का उद्देश्य यौन सम्बन्धों का नियमन करना, सन्तानोत्पत्ति करना और उनका लालन–पालन, शिक्षण एवं समाजीकरण करना तथा उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक संरक्षण प्रदान करना है। इन प्रकार्यों की पूर्ति हेतु परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों से बंधे होते हैं। परिवार की सांस्कृतिक विशेषता यह है कि परिवार समाज की संस्कृति की रचना सुरक्षा हस्तांतरण एवं संवर्धन में अहम योगदान देता है। संक्षेप में परिवार को जैवकीय सम्बन्धों पर आधारित एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिनमें माता–पिता और बच्चे होते हैं और जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों हेतु सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, प्रजनन, समाजीकरण तथा शिक्षण इत्यादि की सुविधाएं जुटानी हैं।[4]

रायपुर कर्चुलियान विकासखण्ड की जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु निदर्शन विधि की उपविधि सविचार का प्रयोग कर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से संकलित प्राथमिक समंकों को सारणी क्रमांक 1 में प्रस्तुत कर विश्लेषित किया गया है –

सारणी क्रमांक 1
जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति सम्बन्धी जानकारी

क्र.	जनजातीय महिलायें	सक्रिय सदस्य		साधारण महिला	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	गोंड	22	11	61	31
2	कोल	13	6	33	16
3	पनिका	6	3	22	11
4	बैगा	8	4	24	12
5	अगरिया	3	2	8	4
	कुल योग	52	26	148	74

स्रोत – प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 1 को देखने से स्पष्ट होता है कि यह जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित है, जिनमें जनजातीय महिलाओं के अन्तर्गत गोंड, कोल, पनिका, बैगा व अगरिया से शोधकर्ता द्वारा प्रश्न के प्रत्युत्तर प्राप्त किया गया है, जिनमें गोड़ जनजाति की 22 महिलाएं सक्रिय कार्य कर रही हैं और 61 महिलाएं साधारण कार्य कर रही हैं, जिनके प्रतिशत 11 व 31 है। इसी प्रकार कोल जनजातीय की 13 महिलाएं सक्रिय कार्य व 33 साधारण कार्य कर रही हैं, जिनके प्रतिशत 6 व 16 है। इसी अनुक्रम में पनिका जनजातीय की 6 महिलाएं सक्रिय कार्य एवं 22 महिलाएं साधारण कार्य कर रही हैं, जिनके प्रतिशत क्रमशः 3 व 11 है। बैगा जनजाति के 8 महिलाएं सक्रिय कार्य व 24 महिलाएं साधारण कार्य कर रही हैं, जिनके प्रतिशत 4 व 12 है और अगरिया जनजाति की 3 महिलाएं सक्रिय कार्य व 8 महिलाएं साधारण कार्य कर रही है, जिनके प्रतिशत क्रमशः 2 व 4 है। अतः इससे सुस्पष्ट होता है कि विकासखण्ड की जनजातीय महिलाएं सर्वाधिक रूप से साधारण कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी निभा रही हैं तथा बहुत कम महिलाएं सक्रिय सदस्य के रूप में सामाजिक क्रियाकलापों में हिस्सा ले रही हैं।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः विकासखण्ड रायपुर कर्चुलियान की जनजातीय महिलाओं में सशक्तीकरण को भावना का आकलन करने से स्पष्ट हो रहा है कि शोध क्षेत्र की जनजातीय महिलाओं पर सशक्तीकरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे उक्त वर्ग विशेष की अधिकांश महिलायें स्वयं एवं अपने पर विकास प्रक्रिया की धारा से जोड़ने में सफल हुई हैं, लेकिन अभी भी कुछ विसंगतियों एवं भय वश अधिकांश महिलाओं को इससे जोड़ने में पूर्णतः सफलता नहीं मिल पायी है, लेकिन यदि शासन स्तर पर सशक्त प्रयास किये जाय, तो उन्हें दूर कर जनजातीय समाज की सभी महिलाओं को विकास की धारा से जोड़ने में सफलता अवश्य प्राप्त हो सकेगी।

संदर्भ –

[1] डॉ. एस.डी. सिंह – वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर, संस्करण 1988, पृष्ठ 91

[2] लूसी मेयर – सामाजिक विज्ञान की भूमिका, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ 89

[3] मैकाइवर एण्ड पेज – सोसायटी, वर्ष 1959, पृष्ठ 238

[4] एम.एल. गुप्ता – समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, संस्करण 1987, पृष्ठ 438